न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हरिशंकर बनाम ताराचन्द वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	[illegible] 62/2022
28-7-25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 06-08-25 को पेश हो।
06.08.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकुलाय उभय पक्षकारान् ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बहस में विचाराधीन होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित स्थगन आदेश को मूल वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किये जाने का निवेदन किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर अन्तिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.06.2023 को मूल वाद पत्र उनवानी हरिशंकर वगै0 बनाम ताराचन्द वगै0 के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है तथा उभय पक्षकारान् को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2575 रकबा 0.01 हैक्टर, 2576 रकबा 2.79 हैक्टर तन् ग्राम मउ व खसरा नम्बर 714 रकबा 0.01 [illegible] सारियावास के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति [illegible] फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल [illegible] (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:20 IST
Reason: SelfAttested